

आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग को और 11/11/83 दिनांक
विद्यालय शिक्षा हरियाणा को पत्र क्रमांक 31/151/83 वि 11/141 दिनांक
15.7.83 की प्रति:

विषय: हलवातिया बाल मंदिर उच्च विद्यालय विद्या विहार रोहतक जेठ विभाग
को सेंट्रल बोर्ड आफ सैकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली से एफिलिटेशन प्राप्त
करने हेतु अत्रापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे ।

उपरोक्त विषय पर आपके यादी क्रमांक 23/41-82 -1151 दिनांक
20.6.83 के संदर्भ में ।

सरकार आपके प्रस्ताव से सहमत है तथा हस्ततंत्रा को सेंट्रल बोर्ड आफ
सैकेंडरी नई दिल्ली को तथा एफिलिटेशन प्राप्त करने के लिए अत्रापति प्रमाण पत्र
निम्नलिखित शर्तों पर दे दिया जाय ।

- क जैसे ही उपरोक्त संस्था को दिल्ली बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो जायेगी
- हरियाणा शिक्षा बोर्ड से इसकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी ।
- ग जैसे ही दिल्ली बोर्ड से मान्यता मिल जायेगी जैसे ही हरियाणा सरकार
- की ओर से दी जाने वाली सेंट्रल आदि रकम कर दी जायेगी । तथा भाषित
- में ^{लक्ष्यता अत्रापति क्रमांक 31/151/83} संघ तक कि यह पुनः हरियाणा से मान्यता प्राप्त नहीं कर लेते ।

निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा कड़ी

पु 0 क्रमांक 23/41-83 वि 1151 फि 10

8883

एकरक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी को यादी क्रमांक 3087 दिनांक
2. 9.82 के संदर्भ में ।
2. प्रधान हलवातिया बाल मंदिर उच्च विद्यालय विद्या विहार रोहतक जेठ
विभाग ।

निदेशक निदेशक विद्यालय
शुभे निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा

दिनांक
10/8